Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 151–2022/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, AUGUST 23, 2022 (BHADRA 1, 1944 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 23 अगस्त, 2022

संख्या 49/जीएसटी–2.– हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 19), की धारा 44 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य कर आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिनका वित्तीय वर्ष 2021–2022 में संकलित आवर्त दो करोड़ रुपए तक है, को उक्त वित्तीय वर्ष की वार्षिक विवरणी फाइल करने से छूट प्रदान करते हैं ।

शेखर विद्यार्थी
आबकारी तथा कराधान आयुक्त–कम–
राज्य कर आयुक्त, हरियाणा।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 23rd August, 2022

No. 49 /GST-2.— In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 44 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Commissioner of State Tax, on the recommendations of the Council, hereby exempts the registered person whose aggregate turnover in the financial year 2021-22 is up to two crore rupees, from filing annual return for the said financial year.

SHEKHAR VIDYARTHI,
Excise and Taxation Commissioner-cum-
Commissioner of State Tax, Haryana.

9840—C.S.—H.G.P. Pkl.

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 151–2022/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, AUGUST 23, 2022 (BHADRA 1, 1944 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 23 अगस्त, 2022

संख्या 50/जीएसटी–2.– हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 57/जीएसटी–2, दिनांक 26 अप्रैल, 2019 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:–

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 57/जीएसटी–2, दिनांक 26 अप्रैल, 2019 में, द्वितीय पैरा में, चतुर्थ परंतुक में,–

(i) अंत में विद्यमान "।" चिह्न के स्थान पर, ":" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) चतुर्थ परंतुक के बाद, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:–

"परन्तु यह और कि उक्त व्यक्ति, 30 जून, 2022 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए 31 जुलाई, 2022 तक हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 के प्ररूप जीएसटी सीएमपी –08 में स्वतः निर्धारित कर के भुगतान के ब्यौरा शामिल करते हुए विवरण प्रस्तुत करेंगे।"।

अनुराग रस्तोगी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 23rd August, 2022

No. 50/GST-2.— In exercise of the powers conferred by section 148 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No.57 /GST-2, dated the 26th April, 2019, namely:-

AMENDMENT

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No.57 /GST-2, dated the 26th April, 2019, in the second paragraph,-

(i) in the proviso, for the sign "." existing at the end, the sign ":" shall be substituted;

(ii) after the fourth proviso, the following proviso shall be added, namely:-

"Provided also that the said persons shall furnish a statement, containing the details of payment of self-assessed tax in **FORM GST CMP-08** of the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017 for the quarter ending 30th June, 2022 till the 31st day of July, 2022.".

ANURAG RASTOGI,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.

9840—C.S.—H.G.P. Pkl.

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 151–2022/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, AUGUST 23, 2022 (BHADRA 1, 1944 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 23 अगस्त, 2022

संख्या 51/जीएसटी–2.– हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 03/एसटी–2, दिनांक 09 जनवरी, 2018 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:–

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 03/एसटी–2, दिनांक 09 जनवरी, 2018 में, पाँचवे परंतुक में, "30 जून, 2022" अंको, शब्द और चिह्न के स्थान पर, "28 जुलाई, 2022" अंक, शब्द और चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

अनुराग रस्तोगी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 23rd August, 2022

No. 51/GST-2.— In exercise of the powers conferred by section 128 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No. 03/ST-2, dated the 9th January, 2018, namely :–

Amendment

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No. 03/ST-2, dated the 9th January, 2018, in the fifth proviso, for the figures, letters and words "30th day of June, 2022", the figures, letters and words "28th day of July, 2022" shall be substituted

ANURAG RASTOGI,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.

9840—C.S.—H.G.P. Pkl.

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 151–2022/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, AUGUST 23, 2022 (BHADRA 1, 1944 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 23 अगस्त, 2022

संख्या 52/जीएसटी–2.–एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 13), की धारा 20 के साथ पठित हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) (जिसे, इसमें, इसके पश्चात्, उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 43/जीएसटी–2, दिनांक 07 मई, 2020 तथा हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 19/जीएसटी–2, दिनांक 21 मई, 2021 का आंशिक उपांतरण करते हुए,–

(i) भुगतान न किए गए कर या कम भुगतान किए गए कर या गलत रूप से लाभ उठाए गए या उपयोग किए इनपुट कर प्रत्यय की वसूली के लिए वित्तीय वर्ष 2017–2018 के लिए कर की अवधि के संबध में उक्त अधिनियम की धारा 73 की उपधारा (9) के अधीन आदेश जारी करने के लिए धारा 73 की उपधारा (10) के अधीन विनिर्दिष्ट समय सीमा का 30 सितम्बर, 2023 तक विस्तार करते हैं;

(ii) गलत प्रतिदाय की वसूली के लिए उक्त अधिनियम की धारा 73 की उपधारा (9) के अधीन आदेश जारी करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 73 की उपधारा (10) के अधीन परिसीमा अवधि की संगणना के लिए मार्च, 2020 के प्रथम दिन से 28 फरवरी, 2022 तक की अवधि को उपवर्जित करते हैं;

(iii) उक्त अधिनियम की धारा 54 या धारा 55 के अधीन प्रतिदाय आवेदन दाखिल करने के लिए परिसीमा अवधि की संगणना करने हेतु मार्च, 2020 के प्रथम दिन से 28 फरवरी, 2022 तक की अवधि को उपवर्जित करते हैं।

2. यह अधिसूचना प्रथम मार्च, 2020 से लागू हुई समझी जाएगी।

अनुराग रस्तोगी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 23rd August, 2022

No. 52 /GST-2.— In exercise of the powers conferred by section 168A of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act) read with section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (Central Act 13 of 2017) and in partial modification of the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No. 43/GST-2, dated the 7th May, 2020 and Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No. 19/GST-2, dated the 21st May, 2021, the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby,-

(i) extends the time limit specified under sub-section (10) of section 73 for issuance of order under sub-section (9) of section 73 of the said Act, for recovery of tax not paid or short paid or of input tax credit wrongly availed or utilized, in respect of a tax period for the financial year 2017-18, up to the 30th day of September, 2023;

(ii) excludes the period from the 1st day of March, 2020 to the 28th day of February, 2022 for computation of period of limitation under sub-section (10) of section 73 of the said Act for issuance of order under sub-section (9) of section 73 of the said Act, for recovery of erroneous refund;

(iii) excludes the period from the 1st day of March, 2020 to the 28th day of February, 2022 for computation of period of limitation for filing refund application under section 54 or section 55 of the said Act.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 1st day of March, 2020.

ANURAG RASTOGI,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.

9840—C.S.—H.G.P. Pkl.

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 151–2022/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, AUGUST 23, 2022 (BHADRA 1, 1944 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 23 अगस्त, 2022

संख्या 53/जीएसटी–2.— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. (1) ये नियम हरियाणा माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) नियम, 2022, कहे जा सकते हैं।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये नियम 05 जुलाई, 2022 से लागू हुए समझे जाएंगे।

2. हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिन्हें, इसमें, इसके पश्चात्, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 21क में, उप–नियम (4) में, द्वितीय परंतुक में–

(i) अंत में विद्यमान "।" चिह्न के स्थान पर, ":" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा

(ii) निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :–

"परंतु यह और कि जहां रजिस्ट्रीकरण, धारा 29 की उपधारा (2) के खंड (ख) या खंड (ग) में अंतर्विष्ट उपबंधों के उल्लंघन के लिए उप–नियम (2क) के अधीन निलंबित किया गया है और रजिस्ट्रीकरण, नियम 22 के अधीन समुचित अधिकारी द्वारा पहले से ही रद्द नहीं किया गया है, वहां रजिस्ट्रीकरण का निलंबन सभी लंबित विवरणियों के प्रस्तुत किए जाने पर वापस लिया गया समझा जाएगा";

3. उक्त नियमों में, नियम 43 में, व्याख्या 1 में, खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :–

"(घ) हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 104/ एसटी–2, दिनांक 13 अक्तूबर, 2017 में विनिर्दिष्ट शुल्क प्रत्यय पावती पत्र के प्रदाय का मूल्य; ";

4. उक्त नियमों में, नियम 46 में, खंड (द) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:–

"(ध) नीचे दी गई एक घोषणा कि, उन सभी मामलों में, जहां ऐसे करदाता, जिसका 2017–18 से आगे किसी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में, नियम 48 के उप–नियम (4) के अधीन यथा अधिसूचित समग्र आवर्त से अधिक समग्र आवर्त है, के द्वारा नियम 48 के उक्त उप–नियम (4) के अधीन इस प्रकार विनिर्दिष्ट रीति से भिन्न रीति में बीजक जारी किया गया है, वहां नियम 48 के उप–नियम (4) के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में बीजक जारी किया जाना आवश्यक नहीं है ।

"मैं/हम इसके द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं, कि यद्यपि 2017–18 से आगे किसी भी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में हमारा समग्र आवर्त नियम 48 के उप–नियम (4) के अधीन अधिसूचित समग्र आवर्त से अधिक है, फिर भी हमें उक्त उप–नियम के उपबंधों के निबंधनानुसार बीजक तैयार करने की आवश्यकता नहीं है।":';

5. उक्त नियमों में, नियम 86 में, उप–नियम (4क) के पश्चात्, निम्नलिखित उप–नियम रखा जाएगा, अर्थात् :–

"(4ख) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उसको,

(क) अधिनियम की धारा 54 की उपधारा (3) के अधीन; या

(ख) नियम 96 के उप–नियम (3) के अधीन, नियम 96 के उप–नियम (10) के उल्लंघन में, गलती से मंजूर की गई प्रतिदाय की राशि को, प्ररुप जीएसटी डीआरसी–03 के माध्यम से स्वप्रेरणा से या बताए जाने पर ब्याज और शास्ति सहित, जहां कहीं भी लागू हो, इलैक्ट्रोनिक नकद खाते से विकलित करके जमा करता है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जमा की गई, गलती से मंजूर प्रतिदाय की राशि के समतुल्य राशि, समुचित अधिकारी द्वारा प्ररुप जीएसटी पीएमटी–03क में किए गए आदेश द्वारा इलैक्ट्रोनिक प्रत्यय खाते में पुनः जमा कर दी जाएगी।";

6. उक्त नियमों में, नियम 87 में,–

(क) उप–नियम (3) में, खंड (i) के पश्चात् निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:–

"(iक) किसी बैंक से एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ (यूपीआई);

(iख) किसी बैंक से तत्काल भुगतान सेवा (आई एमपीएस);";

(ख) उप–नियम (5) में, "वास्तविक समय सकल निपटान" शब्दों के स्थान पर "या तत्काल भुगतान सेवा" शब्द रखे जांएगे;

7. उक्त नियमों में, नियम 89 में, –

(क) उप–नियम (1) में, चौथे परंतुक के बाद, निम्नलिखित व्याख्या रखी जाएगी, अर्थात् :–

'व्याख्या. – इन उप–नियम के प्रयोजनों के लिए, "विनिर्दिष्ट अधिकारी" से अभिप्राय है, विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 2 के अधीन यथापरिभाषित कोई "विनिर्दिष्ट अधिकारी" या कोई "प्राधिकृत अधिकारी";

(ख) उप–नियम (2) में, –

(i) खंड (ख) में, "माल के निर्यात" शब्दों के पश्चात्, "विद्युत से भिन्न" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात:–

"(खक) उस दशा में, जहां प्रतिदाय विद्युत के निर्यात के कारण होता है, वहां, निर्यात बीजकों की संख्या और तिथि अंतर्विष्ट करने वाला विवरण, निर्यातित ऊर्जा के ब्यौरे, करार के अनुसार विद्युत के निर्यात के लिए प्रतियूनिट टैरिफ के साथ केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता) विनियम, 2010 के विनियम 2 के उपविनियम 1 के खंड (ढढढ) के अधीन क्षेत्रीय ऊर्जा लेखा (आरईए) के भाग के रुप में क्षेत्रीय विद्युत समिति सचिवालय द्वारा जारी उत्पादन संयंत्रों द्वारा निर्यातित विद्युत के लिए अनुसूचित ऊर्जा के विवरण की प्रति तथा निर्यातित ऊर्जा के ब्यौरे प्रति यूनिट टैरिफ का उल्लेख करने वाले करार की प्रति";

(ग) उप–नियम (4) में, निम्नलिखित व्याख्या रखी जाएगी, अर्थात्:–

"व्याख्या.– इस उप–नियम के प्रयोजनों के लिए, भारत से बाहर निर्यात किए गए माल का मूल्य निम्नलिखित के रुप में माना जाएगा–

(i) पोत परिवहन पत्र और निर्यात पत्र (प्ररुप) विनियम, 2017 के अनुसार, यथास्थिति, पोत परिवहन पत्र या निर्यात पत्र प्ररुप में घोषित फ्री ऑन बोर्ड मूल्य; या

(ii) कर बीजक या प्रदाय पत्र में घोषित मूल्य,

जो भी कम हो";

(घ) उप नियम (5) में, "ऐसे व्युतक्रमित दर के माल और सेवाओं के प्रदाय पर संदेय कर" शब्दों के स्थान पर "{ऐसे व्युतक्रमित दर के माल और सेवाओं के प्रदाय पर संदेय कर X (शुद्ध आईटीसी ÷ इनपुटों और इनपुट सेवाओं पर लिए गए आईटीसी)}" कोष्ठक, शब्द तथा अक्षर प्रतिस्थापित किये जाएंगे;

8. उक्त नियमों में, नियम 95क का लोप कर दिया जाएगा तथा प्रथम जुलाई, 2019 से लोप कर दिया गया समझा जाएगा;

9. उक्त नियमों में, प्रथम जुलाई, 2017 से, नियम 96 में,–

(क) उप–नियम (1) में, खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्:–

"(ख) आवेदक ने प्ररुप जीएसटीआर–3ख में विधिमान्य विवरणी प्रस्तुत की है:

परंतु यदि पोत परिवहन पत्र माल के निर्यातकर्ता द्वारा प्रस्तुत आंकड़े और प्ररुप जीएसटीआर–। में जावक प्रदायों के विवरण में प्रस्तुत आंकड़ों के बीच कोई अंतर है, तब, भारत से बाहर निर्यात किए गए माल पर संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय के लिए ऐसे आवेदन को उस तिथि को फाइल किया हुआ समझा जाएगा जब उक्त पोत परिवहन पत्र के संबंध में ऐसा अंतर निर्यातकर्ता द्वारा ठीक कर दिया जाता है;";

(ख) उप–नियम (4) में,–

(i) खंड (ख) में, "किया गया है।" शब्दों तथा चिह्न के स्थान पर, "किया गया है;" शब्द और चिह्न प्रतिस्थापित किये जाएंगे तथा प्रथम जुलाई, 2017 से प्रतिस्थापित किये गए समझे जाएंगे;

(ii) खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा तथा प्रथम जुलाई, 2017 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात्:–

"(ग) बोर्ड में आयुक्त या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की, डाटा विश्लेषण और जोखिम पैरामीटरों के आधार पर, यह राय है कि निर्यातकर्ता के प्रत्यय पत्रों का सत्यापन, जिसमें निर्यातकर्ता द्वारा आईटीसी का लिया जाना भी शामिल है, राजस्व के हित को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिदाय प्रदान करने से पूर्व आवश्यक समझा जाता है।";

(ग) उप–नियम (5) का लोप किया गया समझा जाएगा;

(घ) उप–नियम (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उप–नियम रखे गए समझे जाएंगे, अर्थात्:–

"(5क) जहां प्रतिदाय उप–नियम (4) के खंड (क) या खंड (ग) के उपबंधों के अनुसार रोका गया है, वहां ऐसा दावा प्रणाली सृजित प्ररुप जीएसटी आरएफडी–01 में सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रोनिक रुप से, केंद्रीय कर, राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर, जैसी भी स्थिति हो, के समुचित अधिकारी को प्रेषित किया जाएगा और ऐसे प्रेषण की सूचना सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रोनिक रुप से निर्यातकर्ता को भी भेजी जाएगी और किसी अन्य नियम में दी गई किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, उक्त प्रणाली सृजित प्ररुप ऐसे मामलों में प्रतिदाय के लिए आवेदन समझा जाएगा और ऐसे प्रेषण की तिथि को फाइल किया गया समझा जाएगा।

(5ख) जहां प्रतिदाय उप–नियम (4) के खंड (ख) के उपबंधों के अनुसार रोका गया है और सीमाशुल्क का समुचित अधिकारी ऐसा कोई आदेश पारित करता है कि माल, सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए निर्यात किया गया है, तब ऐसा दावा प्रणाली सृजित प्ररुप जीएसटी आरएफडी–01 में सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रोनिक रुप से, केंद्रीय कर, राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर, जैसी भी स्थिति हो, के समुचित अधिकारी को प्रेषित किया जाएगा और ऐसे प्रेषण की सूचना सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रोनिक रुप से निर्यातकर्ता को भी भेजी जाएगी और किसी अन्य नियम में दी गई किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, उक्त प्रणाली सृजित प्ररुप ऐसे मामलों में प्रतिदाय के लिए आवेदन समझा जाएगा और ऐसे प्रेषण की तिथि को फाइल किया गया समझा जाएगा ।

(5ग) उप–नियम (5क) और उप–नियम (5ख) के अनुसार सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रोनिक रुप से प्रेषित प्ररुप जीएसटी आरएफडी–01 में प्रतिदाय के लिए आवेदन पर नियम 89 के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी;";

(ड.) उप–नियम (6) और उप–नियम (7) का लोप किया गया समझा जाएगा;

10. उक्त नियमों में, प्ररुप जीएसटीआर–3ख में,

(क) पैरा 3.1 में शीर्ष में "विपयर्य प्रभारों के लिए प्रति दायी" शब्दों के पश्चात्", "(उनसे भिन्न जो 3.1.1 के अंतर्गत आते हैं)" कोष्ठक, शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ख) पैरा 3.1 के बाद, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:–

"3.1.1 हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 9 की उपधारा (5) और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में तत्स्थानी उपबंधों के अधीन अधिसूचित प्रदायों के ब्यौरे।

प्रदायों की प्रकृति	कुल कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6
(i) ऐसे कराधेय प्रदाय जिन पर धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन इलैक्ट्रोनिक वाणिज्य प्रचालक कर का भुगतान करता है (इलैक्ट्रोनिक वाणिज्य प्रचालक द्वारा प्रस्तुत किया जाए)					

प्रदायों की प्रकृति	कुल कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6
(ii) इलैक्ट्रोनिक वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा किए गए कराधेय प्रदाय जिन पर धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन इलैक्ट्रोनिक वाणिज्य प्रचालक को कर का भुगतान करने की आवश्यकता है (इलैक्ट्रोनिक वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से प्रदाय करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाए) ।";					

(ग) पैरा 3.2 में, शीर्ष में, "3.1(क) में दर्शित प्रदायों" शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षर के पश्चात्, निम्नलिखित शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर "और 3.1.1(i)" रखा जाएगा;

(घ) पैरा 4 के अधीन सारणी में, खाना (1) में,–

(i) मद (आ) में, उप–मद (1) के सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

"हरियाणा माल और सेवा कर नियम के नियमों 38, 42 और 43 और धारा 17 की उप–धारा (5) के अनुसार";

(ii) मद (ई) में, –

(क) शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"अन्य विवरण";

(ख) उप–मद (1) के सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

"पुनः प्राप्त किया गया आईटीसी जिसे पहले की कर अवधि में सारणी 4(आ)(2) के अधीन वापस कर दिया गया था";

(ग) उप–मद (2) के सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: –

"धारा 16(4) के अधीन अपात्र आईटीसी और पीओएस उपबंधों के कारण प्रतिबंधित आईटीसी";

(ङ) अनुदेश शीर्ष के अधीन, पैरा 3 के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा रखे जाएंगे, अर्थात्:–

"(4)एक इलैक्ट्रोनिक वाणिज्य प्रचालक (ईसीओ), जिस आपूर्ति पर ईसीओ को हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 9 की उप–धारा (5) के अधीन कर का भुगतान करने की आवश्यकता है, को उपरोक्त 3.1(क) में सम्मिलित नहीं करेगा और उपरोक्त 3.1.1(i) में ऐसी आपूर्ति को रिपोर्ट करेगा।

(5) इलेक्ट्रोनिक वाणिज्य प्रचालक (ईसीओ) के माध्यम से आपूर्ति करने वाला एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिन आपूर्तियों पर हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 9 की उप–धारा (5) के अधीन ईसीओ को कर का भुगतान करने की आवश्यकता है, को उपरोक्त 3.1(क) में सम्मिलित नहीं करेगा और उपरोक्त 3.1.1(ii) में ऐसी आपूर्ति को रिपोर्ट करेगा।";

11. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटीआर–9 में, "अनुदेश" शीर्ष के अधीन,–

(क) पैरा 4 में, –

(अ) "या वित्तीय वर्ष 2020–21" शब्द, अक्षर और अंक के पश्चात, "या वित्तीय वर्ष 2021–22" शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे;

(आ) सारणी के, द्वितीय खाने में, –

(I) क्रम संख्या 5घ, 5ड़ और 5च के सामने, अंत में निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्: –

'वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को पृथक रूप से गैर–जीएसटी प्रदाय (5च) रिपोर्ट करनी होगी और उसके पास अपनी प्रदाय को पृथक रूप से छूट–प्राप्त और शून्य रेटेड प्रदाय रिपोर्ट करने या केवल पंक्ति "छूट–प्राप्त" में इन दो छूट–प्राप्त और शून्य रेटेड शीर्षों के लिए समेकित जानकारी की प्रदाय रिपोर्ट करने का विकल्प होगा।';

(II) क्रम संख्या 5ज, 5झ, 5ञ और 5ट के सामने, "2019–20 और 2020–21" अंक और शब्द के स्थान पर, क्रमशः "2019–20, 2020–21 और 2021–22" अंक और शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;

(ख) पैरा 5 में, सारणी में, द्वितीय खाने में,–

(अ) क्रम संख्या 6ख, 6ग, 6घ और 6ड़ के सामने, "वित्तीय वर्ष 2019–20 और 2020–21" अंक और शब्द के स्थान पर, "वित्तीय वर्ष 2019–20, 2020–21 और 2021–22" अंक और शब्द क्रमशः प्रतिस्थापित किये जाएंगे;

(आ) क्रम संख्या 7क, 7ख, 7ग, 7घ, 7ड़, 7च, 7छ और 7ज के सामने "2019–20 और 2020–21" अंक और शब्द के स्थान पर "2019–20, 2020–21 और 2021–22" अंक और शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;

(ग) पैरा 7 में, –

(अ) "अप्रैल, 2021 से सितंबर, 2021" शब्दों और अंकों के पश्चात्, निम्नलिखित रखे जाएंगे, अर्थात्:–

"वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए, भाग V पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के संव्यवहारों जिनको अप्रैल, 2022 से सितंबर, 2022 के बीच प्ररूप जीएसटीआर–3ख में भुगतान किया गया है, की विशिष्टियों से मिलकर बना है।";

(आ) सारणी में, द्वितीय खाने में, –

(I) क्रम संख्या 10 और 11 के सामने, अंत में निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात्: –

"वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की विवरणी में पहले से घोषित किसी भी आपूर्ति में परिवर्धन या संशोधन के ब्यौरे, किंतु ऐसे संशोधन अप्रैल, 2022 से सितंबर, 2022 के प्ररूप जीएसटीआर –1 की सारणी 9क, सारणी 9ख और सारणी 9ग में प्रस्तुत किए गए थे, यहां घोषित किया जाएगा।";

(II) क्रम संख्या 12 के सामने, –

(1)"सितंबर 2021, यहां घोषित किया जाएगा। प्ररूप जीएसटीआर–3ख की सारणी 4(ख) इन ब्योरौं को भरने के लिए उपयोग की जा सकती है।", शब्दों, अक्षरों, अंकों और कोष्ठकों के बाद, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात्:–

"वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए, आईटीसी के प्रत्यागम का समस्त मूल्य जिसका पूर्व वित्त वर्ष में उपभोग किया गया था, किन्तु अप्रैल 2022 से सितंबर 2022 के मासों के लिए फाइल की गई विवरणी में प्रत्यागमित कर दिया गया था, यहां घोषित किया जाएगा। प्ररूप जीएसटीआर–3ख की सारणी 4(ख) का इन ब्योरौं को भरने के लिए उपयोग की जा सकती है।";

(2)"2019–20 और 2020–21" अंक और शब्द के स्थान पर "2019–20, 2020–21 और 2021–22" अंक और शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;

(III) क्रम संख्या 13 के सामने, –

(1) "वित्तीय वर्ष 2021–22 में पुनः दावा किया गया, ऐसी पुनः दावा की गई आईटीसी के ब्यौरे वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए वार्षिक विवरणी में प्रस्तुत किए जाएंगे।" शब्दों, अंकों और अक्षरों के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात्:–

"वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में प्राप्त माल और सेवाओं के लिए आईटीसी के ब्यौरे, किन्तु जिनके लिए आईटीसी अप्रैल 2022 से सितंबर 2022 के मासों के लिए फाइल की गई विवरणी में लिया गया था, यहाँ घोषित किए जाएंगे। प्ररूप जीएसटीआर–3ख की सारणी 4(क) का इन ब्योरौं को भरने के लिए उपयोग किया जा सकता है। तथापि, कोई आईटीसी जिसका प्रत्यागम धारा 16 की उप–धारा (2) के द्वितीय परंतुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021–22 में किया गया था किन्तु जिसे वित्तीय वर्ष 2022–23 में पुनः दावा किया गया, ऐसी पुनः दावा की गई आईटीसी के ब्यौरे वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए वार्षिक विवरणी में प्रस्तुत किए जाएंगे।";

(2) "2019–20 और 2020–21" अंक और शब्द के स्थान पर "2019–20, 2020–21 और 2021–22" अंक और शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;

(घ) पैरा 8 में, सारणी में, द्वितीय खाने में, –

(अ) क्रम संख्या

(I) 15क, 15ख, 15ग और 15घ,

(II) 15ड़, 15च और 15छ, के सामने, –

"2019–20 और 2020–21" अंक और शब्द जहां कहीं भी वे आएं के स्थान पर, "2019–20, 2020–21 और 2021–22" अंक और शब्द क्रमशः प्रतिस्थापित किए जाएंगे।";

(आ) क्रम संख्या 16क, 16ख और 16ग के सामने "2019–20 और 2020–21" अंक और शब्द जहां कही भी वे आएं के स्थान पर, "2019–20, 2020–21 और 2021–22" अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे। ";

(इ) क्रम संख्या 17 और 18 के सामने,–

(I) " करदाता जिनका वार्षिक आवर्त 5.00 करोड़ रुपए से अधिक है।" शब्दों, अक्षरों और अंकों के बाद वित्तीय वर्ष 2021–22 से आगे, पूर्ववर्ती वर्ष में 5.00 करोड़ रुपए से अधिक वार्षिक आवर्त वाले करदाताओं के लिए छह अंकों के स्तर और पूर्ववर्ती वर्ष में 5.00 करोड़ रुपए तक वार्षिक आवर्त वाले करदाताओं के लिए सभी बी 2 बी प्रदायों के लिए चार अंकों के स्तर पर एचएसएन कोड की रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा" शब्द, अक्षर और अंक रखे जायेंगे;

(II) अंत में निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्: –

"वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास सारणी 18 न भरने का विकल्प होगा।";

12. उक्त नियमों में, अनुदेश शीर्ष के अधीन प्ररूप जीएसटीआर –9ग में,–

(क) पैरा 4 में, सारणी में, द्वितीय खाने में, "2019–20 और 2020–21" अंक और शब्द जहां कही वे आएं के स्थान पर, "2019–20, 2020–21 और 2021–22" अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) पैरा 6 में, सारणी में, द्वितीय खाना में, क्रम संख्या 14 के सामने, "2019–20 और 2020–21" अंक और शब्द जहां कही वे आएं के स्थान पर, "2019–20, 2020–21 और 2021– 22" अंक और शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;

13. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी पीएमटी–03 के बाद, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:–

"प्ररूप जीएसटी पीएमटी–03क

[देखिए नियम 86(4ख)]

इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाता में राशि का पुनः प्रत्यय के लिए आदेश

संदर्भ संख्या: तिथि:

1. जीएसटीआईएन–
2. नाम (विधिक) –
3. व्यापार का नाम, यदि कोई हो
4. पता –
5. खाता जिससे विकलन प्रविष्टि की गई थी – नकद/प्रत्यय खाता
6. विकलन प्रविष्टि संख्या और तिथि–
7. भुगतान संदर्भ संख्या (डीआरसी 03):..... तिथि.....
8. भुगतान का विवरण:–

भुगतान का कारण	(अप्रयुक्त आईटीसी के गलत प्रतिदाय के लिए जमा या आईजीएसटी के गलत प्रतिदाय के लिए जमा)
प्रतिदाय मंजूरी आदेश का विवरण	1. पोत परिवहन पत्र/निर्यात पत्र संख्या और तिथि 2. माल के निर्यात पर भुगतान की गई आईजीएसटी की राशि 3. इन्पुटस प्राप्ति के लिए प्रयुक्त छूट/रियायती दर अधिसूचना का विवरण 4. स्वीकृत प्रतिदाय की राशि 5. बैंक खाते में प्रतिदाय के प्रत्यय की तिथि
	(या) 1. प्रतिदाय की श्रेणी और प्रतिदाय की सुसंगत अवधि 2. जीएसटी आरएफडी–01/01क एआरएन और तिथि – 3. जीएसटी आरएफडी –06 आदेश संख्या और तिथि 4. दावा की गई प्रतिदाय की राशि 5. स्वीकृत प्रतिदाय की राशि

9. पुनः प्रत्यय करने के आदेश की संख्या और तिथि, यदि कोई–

10. प्रत्यय राशि–

क्रम संख्या	अधिनियम (केंद्रीय कर/राज्य कर/संघ राज्य क्षेत्र कर/एकीकृत कर/उप कर)	क्रेडिट की राशि (रु.)					
		कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8

हस्ताक्षर
नाम
अधिकारी का पदनाम

टिप्पण: 'केंद्रीय कर' का अभिप्राय केंद्रीय माल और सेवा कर है; 'राज्य कर' का अभिप्राय राज्य माल और सेवा कर है; 'संघ राज्य क्षेत्र कर' का अर्थ संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर है; 'एकीकृत कर' का अभिप्राय है एकीकृत माल और सेवा कर और 'उपकर' का अभिप्राय है माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर)";

14. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी पीएमटी–06 में,–

(क) भुगतान का ढंग (सुसंगत भाग सक्रिय होगा जब विशिष्ट रूप में चयन किया जाए) शीर्ष के अधीन,

☐ ई–भुगतान (यह ई–भुगतान में सभी ढंग सम्मिलित होगें जैसे सीसी/डीसी और नेट बैंकिंग। करदाता इसमें एक का चयन करें।)

से प्रारंभ होने वाले और "टिप्पण: भुगतान करते समय व्यक्ति द्वारा भुगतान, प्रभारों के लिए पृथक रूप से हो।," से अंत होने वाले भाग के स्थातन पर प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः–

"☐ ई–भुगतान (इसमें ई–भुगतान के सभी ढंग सम्मिलित होंगे जैसे सीसी/डीसी, नेट बैंकिंग और यूपीआई। करदाता इसमें एक का चयन करेगा।)	☐ अतिरिक्त पटल (ओटीसी)			☐ आईएमपीएस
	बैंक (जहां नकद या लिखत निक्षेप किये जाने के लिए प्रस्तावित हैं)			
	लिखत के ब्यौरे			
	☐ नगद	☐ चैक	☐ मांग ड्राफ्ट	

☐ एनईएफटी/आरटीजीएस	
प्रेषण बैंक	
लाभार्थी का नाम	जीएसटी
लाभार्थी लेखा संख्या (सीपीआईएन)	<सीपीआईएन>
लाभार्थी बैंक का नाम	भारतीय रिजर्व बैंक
लाभार्थी के बैंक का भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड (आईएफएससी)	आरबीआई का आईएफएससी
राशि	

टिप्पणी: बैंक प्रभार, यदि कोई हो, भुगतान करते समय व्यक्ति द्वारा बैंक को पृथक रूप से भुगतान किए जाएंगे।

☐ आईएमपीएस	
प्रेषण बैंक	
लाभार्थी का नाम	जीएसटी
लाभार्थी लेखा संख्या (सीपीआईएन)	<सीपीआईएन>
लाभार्थी बैंक का नाम	<चयनित प्राधिकृत बैंक>
लाभार्थी के बैंक का भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड (आईएफएससी)	<चयनित प्राधिकृत बैंक का आईएफएससी>
राशि	

टिप्पणी: बैंक प्रभार, यदि कोई हो, भुगतान करते समय व्यक्ति द्वारा बैंक को पृथक रूप से भुगतान किए जाएंगे।";

(ख) भुगतान चालान सूचना शीर्ष के अधीन सारणी में "बैंक संदर्भ संख्या (बीआरएन)/यूटीआर" शब्दों, अक्षरों और कोष्ठकों के स्थान पर "संदर्भ बैंक संख्या (बीआरएन)/यूटीआर/आरआरएन" शब्द, अक्षर और कोष्ठक प्रतिस्थापित किया जाएगा;

15. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटीपीएमटी–07 में, सारणी में,

(क) क्रम संख्या 6 के सामने तीसरे खाने में

"एनईएफटी/आरटीजीएस ☐	आईएमपीएस ☐"

के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

"एनईएफटी/आरटीजीएस ☐"

(ख) क्रम संख्या 10 के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:–

"10क	पुन: प्राप्य संदर्भ संख्या (आर आर एन)– आई एम पीएस ।"	

16. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी–आइएफडी–01 में, –

(क) कथन 3 में, सारणी में, पोत परिवहन पत्र/निर्यात पत्र शीर्ष के अधीन, खाना 9 के बाद निम्नलिखित खाना रखा जाएगा, अर्थात्:–

"एफओबी मूल्य
9क";

(ग) कथन–3क के बाद, निम्नलिखित कथन रखा जाएगा, अर्थात्:–

"कथन–3ख [नियम 89(2) (खक)]

प्रतिदाय का प्रकार: कर के भुगतान के बिना विद्युत का निर्यात (संचित आईटीसी)

क्रम संख्या	बीजक/दस्तावेज के ब्यौरे				आरईएब्यौरे					टैरिफ प्रति इकाई रुपए में (करार के अनुसार)	निर्यातित इकाई (खाना संख्या 5 और 10 में से निम्नतर)	निर्यातित विद्युत का मूल्य रुपए में(11X12)
	दस्तावेज का प्रकार	संख्या	तिथि	निर्यातित ऊर्जा (इकाइयां)	सृजित केंद्र	अवधि	संदर्भ संख्या	तिथि	निर्यातित ऊजा अपुसूची (इकाइयां)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												";

17. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटीआरएफडी–10ख, प्रथम जुलाई, 2019 से लोप किया गया समझा जाएगा ।

अनुराग रस्तोगी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 23rd August, 2022

No. 53/GST-2.— In exercise of the powers conferred by section 164 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017, namely: -

1. (1) These rules may be called the Haryana Goods and Services Tax (Third Amendment) Rules, 2022.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall be deemed to have come into force with effect from the 5th July, 2022.

2. In the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 21A, in sub-rule (4), in the proviso,-

(i) for the sign "." existing at the end, the sign ":" shall be substituted; and

(ii) the following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided further that where the registration has been suspended under sub-rule (2A) for contravention of the provisions contained in clause (b) or clause (c) of sub-section (2) of section 29 and the registration has not already been cancelled by the proper officer under rule 22, the suspension of registration shall be deemed to be revoked upon furnishing of all the pending returns.";

3. In the said rules, in Explanation 1 to rule 43, after clause (c), the following clause shall be inserted, namely: –

"(d) the value of supply of Duty Credit Scrips specified in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No. 104/ST-2, dated the 13thOctober, 2017.";

4. In the said rules, in rule 46, after clause (r), the following clause shall be inserted, namely: -

"(s) a declaration as below, that invoice is not required to be issued in the manner specified under sub-rule (4) of rule 48, in all cases where an invoice is issued, other than in the manner so specified under the said sub-rule (4) of rule 48, by the taxpayer having aggregate turnover in any preceeding financial year from 2017-18 onwards more than the aggregate turnover as notified under the said sub-rule (4) of rule 48-

"I/We hereby declare that though our aggregate turnover in any preceeding financial year from 2017-18 onwards is more than the aggregate turnover notified under sub-rule (4) of rule 48, we are not required to prepare an invoice in terms of the provisions of the said sub-rule.":';

5. In the said rules, in rule 86, after sub-rule (4A), the following sub-rule shall be inserted, namely: -

"(4B) Where a registered person deposits the amount of erroneous refund sanctioned to him, –

(a) under sub-section (3) of section 54 of the Act, or

(b) under sub-rule (3) of rule 96, in contravention of sub-rule (10) of rule 96,

along with interest and penalty, wherever applicable, through **FORM GST DRC-03,** by debiting the electronic cash ledger, on his own or on being pointed out, an amount equivalent to the amount of erroneous refund deposited by the registered person shall be re-credited to the electronic credit ledger by the proper officer by an order made in **FORM GST PMT-03A**.";

6. In the said rules, in rule 87, –

(a) in sub-rule (3), after clause (i), the following clauses shall be inserted, namely: -

"(ia) Unified Payment Interface (UPI) from any bank;

(ib) Immediate Payment Services (IMPS) from any bank;";

(b) in sub-rule (5), after the words "Real Time Gross Settlement", the words "or Immediate Payment Service" shall be inserted;

7. In the said rules, in rule 89, –

(a) in sub-rule (1), after the fourth proviso, the following *Explanation* shall be inserted, namely: -

'*Explanation*. — For the purposes of this sub-rule, "specified officer" means a "specified officer" or an "authorised officer" as defined under rule 2 of the Special Economic Zone Rules, 2006.';

(b) in sub-rule (2), –

(i) in clause (b), after the words "on account of export of goods", the words ", other than electricity" shall be inserted;

(ii) after clause (b), the following clause shall be inserted, namely: -

"(ba) a statement containing the number and date of the export invoices, details of energy exported, tariff per unit for export of electricity as per agreement, along with the copy of statement of scheduled energy for exported electricity by Generation Plants issued by the Regional Power Committee Secretariat as a part of the Regional Energy Account (REA) under clause (nnn) of sub-regulation 1 of Regulation 2 of the Central Electricity Regulatory Commission (Indian Electricity Grid Code) Regulations, 2010 and the copy of agreement detailing the tariff per unit, in case where refund is on account of export of electricity;";

(c) in sub-rule (4), the following *Explanation* shall be inserted, namely: -

"*Explanation.* – For the purposes of this sub-rule, the value of goods exported out of India shall be taken as –

(i) the Free on Board (FOB) value declared in the Shipping Bill or Bill of Export form, as the case may be, as per the Shipping Bill and Bill of Export (Forms) Regulations, 2017; or

(ii) the value declared in tax invoice or bill of supply,

whichever is less.";

(d) in sub-rule (5), for the words "tax payable on such inverted rated supply of goods and services", the brackets, words and letters "{tax payable on such inverted rated supply of goods and services x (Net ITC÷ ITC availed on inputs and input services)}." shall be substituted;

8. In the said rules, rule 95A shall be deemed to have been omitted with effect from the 1st July, 2019;

9. In the said rules, with effect from the 1st day of July, 2017, in rule 96, –

(a) in sub-rule (1), for clause (b), the following clause shall be deemed to have been substituted, namely: -

"(b) the applicant has furnished a valid return in **FORM GSTR-3B**:

Provided that if there is any mismatch between the data furnished by the exporter of goods in Shipping Bill and those furnished in statement of outward supplies in **FORM GSTR-1**, such application for refund of integrated tax paid on the goods exported out of India shall be deemed to have been filed on such date when such mismatch in respect of the said shipping bill is rectified by the exporter;";

(b) in sub-rule (4),

(i) in clause (b), for the figures "1962" the figures and word "1962; or" shall be deemed to have been substituted;

(ii) after clause (b), the following clause shall be deemed to have been inserted, namely: -

"(c) the Commissioner in the Board or an officer authorised by the Board, on the basis of data analysis and risk parameters, is of the opinion that verification of credentials of the exporter, including the availment of ITC by the exporter, is considered essential before grant of refund, in order to safeguard the interest of revenue.";

(c) sub-rule (5) shall be deemed to have been omitted;

(d) after sub-rule (5), the following sub-rules shall be deemed to have been inserted, namely: -

"(5A)Where refund is withheld in accordance with the provisions of clause (a) or clause (c) of sub-rule (4), such claim shall be transmitted to the proper officer of Central tax, State tax or Union territory tax, as the case may be, electronically through the common portal in a system generated **FORM GST RFD-01** and the intimation of such transmission shall also be sent to the exporter electronically through the common portal, and notwithstanding anything to the contrary contained in any other rule, the said system generated form shall be deemed to be the application for refund in such cases and shall be deemed to have been filed on the date of such transmission.

(5B) Where refund is withheld in accordance with the provisions of clause (b) of sub-rule (4) and the proper officer of the Customs passes an order that the goods have been exported in violation of the provisions of the Customs Act, 1962 (Central Act 52 of 1962), then, such claim shall be transmitted to the proper officer of Central tax, State tax or Union territory tax, as the case may be, electronically through the common portal in a system generated **FORM GST RFD-01** and the intimation of such transmission shall also be sent to the exporter electronically through the common portal, and notwithstanding anything to the contrary contained in any other rule, the said system generated form shall be deemed to be the application for refund in such cases and shall be deemed to have been filed on the date of such transmission.

(5C) The application for refund in **FORM GST RFD-01** transmitted electronically through the common portal in terms of sub-rules (5A) and (5B) shall be dealt in accordance with the provisions of rule 89.";

(e) sub-rule (6) and sub-rule (7) shall be deemed to have been omitted;

10. In the said rules, in **FORM GSTR-3B**, -

(a) in paragraph 3.1, in the heading, after the words "liable to reverse charge", the brackets, words and figures "(other than those covered in 3.1.1)" shall be inserted;

(b) after paragraph 3.1, the following paragraph shall be inserted, namely: -

"3.1.1 Details of supplies notified under sub-section (5) of section 9 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 and corresponding provisions in Integrated Goods and Services Tax.

Nature of Supplies	Total Taxable value	Integrated Tax	Central Tax	State/UT Tax	Cess
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
(i) Taxable supplies on which electronic commerce operator pays tax under sub-section (5) of section 9 [to be furnished by the electronic commerce operator]					
(ii) Taxable supplies made by the registered person through electronic commerce operator, on which electronic commerce operator is required to pay tax under sub-section (5) of section 9 [to be furnished by the registered person making supplies through electronic commerce operator].";					

(c) in paragraph 3.2, in the heading, after the words, figures, brackets and letter "**supplies shown in 3.1(a)**", the word, figures, brackets and letter "**and 3.1.1(i)**" shall be inserted;

(d) in the table, under paragraph 4, under column (1), -

(i) in item (B), for the entries against sub-item (1), the following entries shall be substituted, namely: -

"As per rules 38, 42 and 43 of HGST Rules and sub-section (5) of section 17";

(ii) in item (D), -

(A) for the heading, the following heading shall be substituted, namely: -

"**Other Details**";

(B) for the entries against sub-item (1), the following entries shall be substituted, namely: -

"ITC reclaimed which was reversed under Table 4(B)(2) in earlier tax period";

(C) for the entries against sub-item (2), the following entries shall be substituted, namely: -

"Ineligible ITC under section 16(4) and ITC restricted due to PoS provisions";

(e) Under the heading the Instructions, after paragraph 3, following paragraphs shall be inserted, namely: -

"(4) An Electronic Commerce Operator (ECO) shall not include in 3.1(a) above, the supplies on which the ECO is required to pay tax under sub-section (5) of section 9 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 and shall report such supplies in 3.1.1(i) above.

(5) A registered person making supplies through an Electronic Commerce Operator (ECO) shall not include in 3.1(a) above, the supplies on which the ECO is required to pay tax under sub-section (5) of section 9 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 and shall report such supplies in 3.1.1(ii) above.";

11. In the said rules, in **FORM GSTR-9**, under the heading Instructions, -

(a) in paragraph 4, -

(A) after the word, letters and figures "or FY 2020-21", the word, letters and figures "or FY 2021-22" shall be inserted;

(B) in the Table, in second column, -

(I) against serial numbers 5D, 5E and 5F, the following entries shall be inserted at the end, namely: –

'For FY 2021-22, the registered person shall report Non-GST supply (5F) separately and shall have an option to either separately report his supplies as exempted and nil rated supply or report consolidated information for these two heads in the "exempted" row only.';

(II) against serial numbers 5H, 5I, 5J and 5K, for the figures and word "2019-20 and 2020-21", the figures and word "2019-20, 2020-21 and 2021-22" shall respectively be substituted;

(b) in paragraph 5, in the Table, under second column, -

(A) against serial numbers 6B, 6C, 6D and 6E, for the letters and figures "FY 2019-20 and 2020-21", the letters, figures and word "FY 2019-20, 2020-21 and 2021-22" shall respectively be substituted;

(B) against serial numbers 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 7G and 7H, for the figures and word "2019-20 and 2020-21", the figures and word "2019-20, 2020-21 and 2021-22" shall be substituted;

(c) in paragraph 7, -

(A) after the words and figures "April 2021 to September 2021.", the following shall be inserted, namely: -

"For FY 2021-22, Part V consists of particulars of transactions for the previous financial year but paid in the **FORM GSTR-3B** between April, 2022 to September, 2022.";

(B) in the Table, under second column, -

(I) against serial numbers 10 and 11, the following entries shall be inserted at the end, namely: -

"For FY 2021-22, details of additions or amendments to any of the supplies already declared in the returns of the previous financial year but such amendments were furnished

in Table 9A, Table 9B and Table 9C of **FORM GSTR-1** of April, 2022 to September, 2022 shall be declared here.";

(II) against serial number 12, -

(1) after the words, letters, figures and brackets "September, 2021 shall be declared here. Table 4(B) of **FORM GSTR-3B** may be used for filling up these details.", the following entries shall be inserted, namely: -

"For FY 2021-22, aggregate value of reversal of ITC which was availed in the previous financial year but reversed in returns filed for the months of April 2022 to September 2022 shall be declared here. Table 4(B) of **FORM GSTR-3B** may be used for filling up these details.";

(2) for the figures and word "2019-20 and 2020-21", the figures and word "2019-20, 2020-21 and 2021-22" shall be substituted;

(III) against serial number 13, -

(1) after the words, letters and figures "reclaimed in FY 2021-22, the details of such ITC reclaimed shall be furnished in the annual return for FY 2021-22,", the following entries shall be inserted, namely: -

"For FY 2021-22, details of ITC for goods or services received in the previous financial year but ITC for the same was availed in returns filed for the months of April 2022 to September 2022 shall be declared here. Table 4(A) of **FORM GSTR-3B** may be used for filling up these details. However, any ITC which was reversed in the FY 2021-22 as per second proviso to sub-section (2) of section 16 but was reclaimed in FY 2022-23, the details of such ITC reclaimed shall be furnished in the annual return for FY 2022-23.";

(2) for the figures and word "2019-20 and 2020-21", the figures and word "2019-20, 2020-21 and 2021-22" shall be substituted;

(d) in paragraph 8, in the Table, under second column, -

(A) against serial numbers, -

(I) 15A, 15B, 15C and 15D,

(II) 15E, 15F and 15G,

for the figures and word "2019-20 and 2020-21" wherever they occur, the letters, figures and word "2019-20, 2020-21 and 2021-22" shall respectively, be substituted.";

(B) against serial numbers 16A, 16B and 16C for the figures and word "2019-20 and 2020-21" wherever they occur, the figures and word "2019-20, 2020-21 and 2021-22" shall respectively be substituted.";

(C) against serial numbers 17 and 18, -

(I) after the words, letters and figures "for taxpayers having annual turnover above ₹ 5.00 Cr.", the words, letters and figures "From FY 2021-22 onwards, it shall be mandatory to report HSN code at six digits level for taxpayers having annual turnover in the preceding year above ₹ 5.00 Cr and at four digits level for all B2B supplies for taxpayers having annual turnover in the preceding year upto ₹ 5.00 Cr." shall be inserted;

(II) the following paragraph shall be inserted at the end, namely: -

"For FY 2021-22, the registered person shall have an option to not fill Table 18.";

12. In the said rules, in **FORM GSTR-9C**, under the heading Instructions, -

(a) in paragraph 4, in the Table, under second column, for the figures and word "2019-20 and 2020-21", wherever they occur, the figures and word "2019-20, 2020-21 and 2021-22" shall be substituted;

(b) in paragraph 6, in the Table, under second column, against serial number 14, for the figures and word "2019-20 and 2020-21", the figures and word "2019-20, 2020-21 and 2021-22" shall be substituted;

13. In the said rules, after **FORM GST PMT-03**, the following form shall be inserted, namely: -

"**FORM GST PMT –03A**

[See rule 86(4B)]

Order for re-credit of the amount to electronic credit ledger

Reference No: Date:

1. GSTIN –
2. Name (Legal) –
3. Trade name, if any
4. Address –
5. Ledger from which debit entry was made- Cash / credit ledger
6. Debit entry no. and date –
7. Payment Reference Number (DRC 03): _____ dated _____
8. Details of Payment: -

Cause of Payment	(Deposit of erroneous refund of unutilised ITC or Deposit of erroneous refund of IGST)
Details of Refund Sanction order	1. Shipping Bill/ Bill of Export No. and Date _____ 2. Amount of IGST paid on export of goods _____ 3. Details of Exemption/Concessional Rate Notification used for procuring inputs _____ 4. Amount of refund sanctioned _____ 5. Date of credit of refund in Bank Account _____ (or) 1. Category of refund and relevant period of refund_____ 2. GST RFD-01/01A ARN and Date _____ 3. GST RFD-06 Order No. and Date _____ 4. Amount of refund claimed _____ 5. Amount of refund sanctioned _____

10. No. and date of order giving rise to recredit, if any -
11. Amount of credit -

Serial number	Act (Central Tax/ State tax/ UT Tax/ Integrated Tax/ CESS)	Amount of credit (Rs.)					
		Tax	Interest	Penalty	Fee	Other	Total
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**

Signature
Name
Designation of the officer

Note: 'Central Tax' stands for Central Goods and Services Tax; 'State Tax' stands for State Goods and Services Tax; 'UT Tax' stands for Union territory Goods and Services Tax; 'Integrated Tax' stands for Integrated Goods and Services Tax and 'Cess' stands for Goods and Services Tax (Compensation to States)";

14. In the said rules, in **FORM GST PMT-06**, -

(a) Under the heading **Mode of Payment (relevant part will become active when the particular mode is selected)** for the portion starting with

"□ e-Payment **(**This will include all modes of e-payment such as CC/DC and net banking. Taxpayer will choose one of this)"

and ending with *"Note: Charges to be separately paid by the person making payment."*, the following shall be substituted, namely: -

"□ e-Payment **(**This will include all modes of e-payment such as CC/DC, net banking and UPI. Taxpayer will choose one of this)	□ Over the Counter (OTC)			□IMPS
	Bank (Where cash or instrument is proposed to be deposited)			
	Details of Instrument			
	□ Cash	□ Cheque	□ Demand Draft	

□ NEFT/RTGS	
Remitting bank	
Beneficiary name	GST
Beneficiary Account Number (CPIN)	<CPIN>
Name of beneficiary bank	Reserve Bank of India
Beneficiary Bank's Indian Financial System Code (IFSC)	IFSC of RBI
Amount	

Note: Bank Charges, if any, shall be paid separately to the bank by the person making payment.

□ IMPS	
Remitting bank	
Beneficiary name	GST
Beneficiary Account Number (CPIN)	<CPIN>
Name of beneficiary bank	<Selected Authorized Bank>
Beneficiary Bank's Indian Financial System Code (IFSC)	<IFSC of selected Authorized Bank >
Amount	

Note: Bank Charges, if any, shall be paid separately to the bank by the person making payment.

(b) in the Table under the heading Paid Challan Information, for the words, letters and brackets **"**Bank Reference No. (BRN)/UTR", words, letters and brackets "Bank Reference No. (BRN)/UTR/RRN" shall be substituted;

15. In the said rules, in **FORM GST PMT-07**, in the Table,

(a) against serial number 6, in the third column, for the following, shall be substituted , namely: -

"NEFT/RTGS □"

"NEFT/RTGS □	IMPS □"

(b) after serial number 10 the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

"10A.	Retrieval Reference Number (RRN) – IMPS.";	

16. In the said rules, in **FORM-GST-RFD-01**, -

(a) in **Statement-3,** in the Table, under the heading Shipping bill/Bill of export, after column 9, the following column shall be inserted, namely: -

"FOB value
9A";

(b) after **Statement-3A**, the following statement shall be inserted, namely: -

"Statement-3B [rule 89 (2) (ba)]

Refund Type: Export of electricity without payment of tax (accumulated ITC)

Sl. No.	Invoice/Document Details				REA Details					Tariff per Unit in Rs. (As per agreement)	Units exported (Lower of cl. No 5 and 10)	Value of electricity exported in Rs. (11 x 12)
	Type of Document	No.	Date	Energy exported (Units)	Generating Station	Period	Ref. No.	Date	Scheduled Energy Exported (Units)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												";

17. In the said rules, **FORM GST RFD-10 B** shall be deemed to have been omitted with effect from the 1st day of July, 2019.

ANURAG RASTOGI,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.

9840—C.S.—H.G.P. Pkl.

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 151–2022/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, AUGUST 23, 2022 (BHADRA 1, 1944 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 23 अगस्त, 2022

संख्या 54/जीएसटी–2.– हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 48 के उपनियम (4) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 17/जीएसटी–2, दिनांक 31 मार्च, 2020 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:–

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 17/जीएसटी–2, दिनांक 31 मार्च, 2020 में, प्रथम पैरा में, प्रथम अक्तूबर, 2022 से, "बीस करोड़ रुपये" शब्दों के स्थान पर, ''दस करोड़ रुपये'' शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

अनुराग रस्तोगी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 23rd August, 2022

No. 54/GST-2.— In exercise of the powers conferred under sub-rule (4) of rule 48 of the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017, the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 17/GST-2, dated the 31st March, 2020, namely:-

Amendment

In Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 17/GST-2, dated the 31st March, 2020, in the first paragraph, for the words "twenty crore rupees", the words "ten crore rupees" shall be substituted with effect from the 1st day of October, 2022.

ANURAG RASTOGI,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.

9840—C.S.—H.G.P. Pkl.

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 178–2022/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, SEPTEMBER 30, 2022 (ASVINA 8, 1944 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 30 सितम्बर, 2022

संख्या 58 /जीएसटी–2.– हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2022 (2022 का 29) की धारा 1 की उप–धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, जुलाई, 2022 के पांचवे दिन को ऐसी तिथि के रूप में नियत करते हैं, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 13 के उपबंध लागू होंगे।

अनुराग रस्तोगी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 30th September, 2022

No. 58 /GST-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Haryana Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2022 (29 of 2022), the Governor of Haryana hereby appoints the 5th day of July, 2022, as the date on which the provisions of section 13 of the said Act shall come into force.

ANURAG RASTOGI,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.

9907—C.S.—H.G.P. Pkl.

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 178–2022/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, SEPTEMBER 30, 2022 (ASVINA 8, 1944 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 30 सितम्बर, 2022

संख्या 59/जीएसटी–2.– हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2022 (2022 का 29) की धारा 1 की उप–धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, अक्तूबर, 2022 के प्रथम दिन को ऐसी तिथि के रूप में नियत करते हैं, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 13 को छोड़कर धारा 2 से 15 के उपबंध लागू होंगे।

अनुराग रस्तोगी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 30th September, 2022

No. 59/GST-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Haryana Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2022 (29 of 2022), the Governor of Haryana hereby appoints the 1st day of October, 2022, as the date on which the provisions of sections 2 to 15 except section 13 of the said Act shall come into force.

ANURAG RASTOGI,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.

9907—C.S.—H.G.P. Pkl.

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 181-2022/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, OCTOBER 7, 2022 (ASVINA 15, 1944 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 07 अक्तूबर, 2022

संख्या 60/जी०एस०टी०–2.– हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. (1) ये नियम हरियाणा माल और सेवा कर (चतुर्थ संशोधन) नियम, 2022, कहे जा सकते हैं।

(2) ये नियम प्रथम जुलाई, 2017 से लागू हुए समझे जाएंगे।

2. हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 में, नियम 88क के बाद, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा तथा प्रथम जुलाई, 2017 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात्:–

"88ख. कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज संगणित करने की रीति.– (1) ऐसे मामले में, जहां एक कर अवधि के दौरान किए गए प्रदाय, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उक्त अवधि के लिए विवरणी में घोषित किए जाते हैं, और उक्त विवरणी धारा 39 के उपबंधों के अनुसार देय तिथि के पश्चात् प्रस्तुत की जाती है, सिवाय वहां के जहां ऐसी विवरणी उक्त अवधि के संबंध में धारा 73 या धारा 74 के अधीन किसी कार्यवाही के प्रारंभ के पश्चात् प्रस्तुत की जाती है वहां ऐसे प्रदायों के संबंध में भुगतान योग्य कर पर ब्याज की संगणना, ऐसी दर पर जो धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित हो, उक्त विवरणी फाइल करने में देय तिथि के पश्चात् विलंब की अवधि के लिए, कर के ऐसे भाग पर की जाएगी जिसका भुगतान इलैक्ट्रानिक नकद खाते से विकलित करके किया जाता है।

(2) अन्य सभी मामलों में, जहां धारा 50 की उपधारा (1) के अनुसार ब्याज भुगतान योग्य है, वहां ब्याज की संगणना, ऐसी दर पर जो धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित हो, उस तिथि से आरंभ होने वाली अवधि के लिए जिसको ऐसा कर भुगतान किया जाना देय था, ऐसे कर का भुगतान किए जाने की तिथि तक, कर की उस राशि पर, जो असंदत्त रहती है, की जाएगी।

(3) ऐसे मामले में, जहां गलती से लिए गए और उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय की राशि पर ब्याज, धारा 50 की उपधारा (3) के अनुसार भुगतान योग्य है, वहां ब्याज की संगणना, ऐसे गलती से लिए गए और उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय की राशि पर, इनपुट कर प्रत्यय के उपयोग की तिथि से आरंभ होकर ऐसे प्रत्यय के उत्क्रमण या कर के भुगतान की तिथि तक की अवधि के लिए, ऐसी राशि के सम्बन्ध में, ऐसी दर पर जो धारा 50 की उक्त उपधारा (3) के अधीन अधिसूचित की जाएगी।

व्याख्या. — इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए, —

(1) गलती से लिए गए इनपुट कर प्रत्यय के बारे में यह समझा जाएगा कि उसका उपयोग उस समय कर लिया गया है जब इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाते में शेष गलती से लिए गए इनपुट कर प्रत्यय की राशि से कम आता है और इनपुट कर प्रत्यय के ऐसे उपयोग का परिमाण, वह राशि होगी जितना इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाते में शेष, गलती से लिए गए इनपुट कर प्रत्यय की राशि से कम आता है।

(2) ऐसे इनपुट कर प्रत्यय के उपयोग की तिथिः–

(क) वह तिथि मानी जाएगी, जिसको धारा 39 के अधीन विवरणी प्रस्तुत किए जाने के लिए देय है या उक्त विवरणी के फाइल किए जाने की वास्तविक तिथि, जो भी पहले हो, यदि इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाते में शेष उक्त विवरणी के माध्यम से कर के भुगतान के कारण, गलती से लिए गए इनपुट कर प्रत्यय की राशि से कम होता है; या

(ख) अन्य सभी मामलों में, इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाते में विकलन की वह तिथि मानी जाएगी, जब इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाते में शेष गलती से लिए गए इनपुट कर प्रत्यय की राशि से कम होता है।"।

अनुराग रस्तोगी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 07th October, 2022

No. 60/GST-2— In exercise of the powers conferred by section 164 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017, namely: -

1. (1) These rules may be called the Haryana Goods and Services Tax (Fourth Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from the 1st July, 2017.

2. In the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017, after rule 88A, the following rule shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from 1st July, 2017, namely:-

"**88B. Manner of calculating interest on delayed payment of tax.-**(1) In case, where the supplies made during a tax period are declared by the registered person in the return for the said period and the said return is furnished after the due date in accordance with provisions of section 39, except where such return is furnished after commencement of any proceedings under section 73 or section 74 in respect of the said period, the interest on tax payable in respect of such supplies shall be calculated on the portion of tax which is paid by debiting the electronic cash ledger, for the period of delay in filing the said return beyond the due date, at such rate as may be notified under sub-section (1) of section 50.

(2) In all other cases, where interest is payable in accordance with sub section (1) of section 50, the interest shall be calculated on the amount of tax which remains unpaid, for the period starting from the date on which such tax was due to be paid till the date such tax is paid, at such rate as may be notified under sub-section (1) of section 50.

(3) In case, where interest is payable on the amount of input tax credit wrongly availed and utilised in accordance with sub-section (3) of section 50, the interest shall be calculated on the amount of input tax credit wrongly availed and utilised, for the period starting from the date of utilisation of such wrongly availed input tax credit till the date of reversal of such credit or payment of tax in respect of such amount, at such rate as may be notified under said sub-section (3) of section 50.

Explanation. —For the purposes of this sub-rule, —

(1) input tax credit wrongly availed shall be construed to have been utilised, when the balance in the electronic credit ledger falls below the amount of input tax credit wrongly availed, and the extent of such utilisation of input tax credit shall be the amount by which the balance in the electronic credit ledger falls below the amount of input tax credit wrongly availed.

(2) the date of utilisation of such input tax credit shall be taken to be, —

(a) the date, on which the return is due to be furnished under section 39 or the actual date of filing of the said return, whichever is earlier, if the balance in the electronic credit ledger falls below the amount of input tax credit wrongly availed, on account of payment of tax through the said return; or

(b) the date of debit in the electronic credit ledger when the balance in the electronic credit ledger falls below the amount of input tax credit wrongly availed, in all other cases.

ANURAG RASTOGI,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.

9918—C.S.—H.G.P., Pkl.

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 181-2022/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, OCTOBER 7, 2022 (ASVINA 15, 1944 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 07 अक्तूबर, 2022

संख्या 61/जी०एस०टी०–2.– हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. (1) ये नियम हरियाणा माल और सेवा कर (पांचवा संशोधन) नियम, 2022, कहे जा सकते हैं।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये नियम प्रथम अक्तूबर, 2022 से लागू हुए समझे जाएंगे।

2. हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिन्हें, इसमें, इसके पश्चात्, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 21 में, खंड (छ) के बाद, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:-

"(ज) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति होने के कारण प्रत्येक मास या उसके भाग के लिए धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन रिटर्न दाखिल करने के लिए अपेक्षित है और लगातार छह मास की अवधि के लिए रिटर्न प्रस्तुत नहीं की है;

(झ) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति होने के कारण प्रत्येक तिमाही या उसके भाग के लिए धारा 39 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन रिटर्न दाखिल करने के लिए अपेक्षित है और दो कर अवधियों के निरंतर अवधि के लिए रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया है।";

3. उक्त नियमों में, नियम 36 में,–

(क) उप–नियम (2) में, "और उक्त दस्तावेज में यथा अंतर्विष्ट सुसंगत सूचना ऐसे व्यक्ति द्वारा प्ररूप जीएसटीआर–2 में दी गई हैं" शब्दों, अक्षरों और अंक का लोप किया जाएगा;

(ख) उप–नियम (4) में, खंड (ख) में, "ऐसे बीजकों या नामें नोट" शब्दों के बाद, "के सम्बन्ध में इनपुट कर प्रत्यय " शब्द रखे जाएंगे;

4. उक्त नियमों में, नियम 37 में,–

(क) उपनियम (1) और (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:–

"(1) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो माल या सेवा या दोनों की किसी आवक प्रदाय पर इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करता है, उन प्रदायों के अलावा जिन पर कर रिवर्स चार्ज के आधार पर देय है, किंन्तु उसके प्रदायकर्ता को धारा 16 की उपधारा (2) के दूसरे परंतुक में विनिर्दिष्ट समय–सीमा के भीतर भुगतान करने में असफल रहता है, तो वह उस पर भुगतान योग्य कर सहित बीजक के जारी किए जाने की तिथि से एक सौ अस्सी दिन की अवधि के ठीक पश्चात् वाली कर अवधि के लिए, ऐसी प्रदाय के संबंध में उपभोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय के बराबर राशि का भुगतान धारा 50 के अधीन उस पर देय ब्याज के साथ प्ररूप जीएसटीआर–3ख में करेगा:

परंतु उक्त अधिनियम की अनुसूची 1 में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिफल के बिना की गई प्रदाय का मूल्य, धारा 16 की उपधारा (2) के द्वितीय परंतुक के प्रयोजनों के लिए भुगतान किया गया समझा जाएगा:

परन्तु यह और कि धारा 15 की उपधारा (2) के खंड (ख) के उपबंधों के अनुसार जोड़ी गई किसी राशि के कारण प्रदायों के मूल्य को धारा 16 की उपधारा (2) के द्वितीय परन्तुक के प्रयोजनों के लिए भुगतान किया गया समझा जायेगा।;

(2) जहां उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, बाद में ऐसे प्रदाय के मूल्य की राशि का भुगतान उसके प्रदायकर्ता को देय कर के साथ करता है, वह उप–नियम (1) में निर्दिष्ट इनपुट कर प्रत्यय का पुनः लाभ उठाने का हकदार होगा।";

(ख) उप–नियम (3) का लोप कर दिया जाएगा;

5. उक्त नियमों में, नियम 38 में,–

(क) खंड (क) में, उप–खंड (ii) में, "प्ररूप जीएसटीआर –2 में" शब्द, अक्षरों और अंक का लोप कर दिया जाएगा;

(ख) खंड (ग) में, "और प्ररूप जीएसटीआर –2 में दिया जाएगा", शब्दों, अक्षरों और अंक के स्थान पर, "और इनपुट कर प्रत्यय की शेष राशि प्ररूप जीएसटीआर–3ख में रिवर्स कर दी जाएगी" शब्द, अक्षर और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ग) खंड (घ) का लोप कर दिया जाएगा;

6. उक्त नियमों में, नियम 42 में, उप–नियम (1) में, खंड (छ) में "और प्ररूप जीएसटीआर–2 में सारांश स्तर पर" शब्दों, अक्षरों और अंक का लोप किया जाएगा;

7. उक्त नियमों में, नियम 43 में, उप–नियम (1) में, "और प्ररूप जीएसटीआर–2" शब्दों, अक्षरों और अंक जहां कहीं भी आए, का लोप किया जाएगा;

8. उक्त नियमों में, नियम 60 में, उप–नियम (7) में, "स्वत: तैयार" शब्दों के स्थान पर, "स्वतः जनित" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

9. उक्त नियमों में, नियम 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 और 79 का लोप किया जाएगा;

10. उक्त नियमों में, नियम 83 में, उप–नियम (8) में, खंड (क) में, "और आवक" शब्दों का लोप किया जाएगा;

11. उक्त नियमों में, नियम 85 में, उप–नियम (2) में,

(क) खंड (ख) में, "अन्य राशि; " शब्दों और चिन्हों के स्थान पर "अन्य राशि; या" शब्द और चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) खंड (ग) का लोप कर दिया जाएगा;

12. उक्त नियमों में, नियम 89 में, उपनियम (1) में,–

(क) "कोई व्यक्ति, जो" शब्दों के बाद, "धारा 49 की उप–धारा (6) के उपबंधों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता में किसी भी शेष राशि का, या" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगें;

(ख) प्रथम परंतुक का लोप किया जाएगा;

(ग) द्वितीय परंतुक में, "परंतु यह और कि" शब्दों के स्थान पर, "परंतु" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(घ) तृतीय परंतुक में, "परन्तु यह भी" शब्दों के स्थान पर, "परन्तु यह और भी" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

13. उक्त नियमों में, नियम 96 में, उपनियम (3) में, "प्ररूप जीएसटीआर–3 या प्ररूप जीएसटीआर–3ख, जैसा भी स्थिति हो" शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर, "प्ररूप जीएसटीआर–3ख" शब्द, अक्षर और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

14. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटीआर–1क, प्ररूप जीएसटीआर–2 और प्ररूप जीएसटीआर–3 का लोप किया जाएगा;

15. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी पीसीटी–05 में, भाग–क में, तालिका में, क्रम संख्या 1 के सामने, "गतिविधियों की सूची" शीर्षक के अधीन, "और आवक" शब्दों का लोप किया जाएगा।

अनुराग रस्तोगी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 07th October, 2022

No. 61/GST-2— In exercise of the powers conferred by section 164 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017, namely: -

1. (1) These rules may be called the Haryana Goods and Services Tax (Fifth Amendment) Rules, 2022.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall be deemed to have come into force with effect from the 1st October, 2022.

2. In the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 21, after clause (g), the following clauses shall be inserted, namely:-

"(h) being a registered person required to file return under subsection (1) of section 39 for each month or part thereof, has not furnished returns for a continuous period of six months;

(i) being a registered person required to file return under proviso to subsection (1) of section 39 for each quarter or part thereof, has not furnished returns for a continuous period of two tax periods.";

3. In the said rules, in rule 36,–

(a) in sub-rule (2), the words, letters and figure, ", and the relevant information, as contained in the said document, is furnished in FORM GSTR-2 by such person" shall be omitted;

(b) in sub-rule (4), in clause (b), after the words, "the details of", the words, "input tax credit in respect of" shall be inserted;

4. In the said rules, in rule 37,–

(a) for sub-rules (1) and (2), the following sub-rules shall be substituted, namely:-

"(1) A registered person, who has availed of input tax credit on any inward supply of goods or services or both, other than the supplies on which tax is payable on reverse charge basis, but fails to pay to the supplier thereof, the amount towards the value of such supply along with the tax payable thereon, within the time limit specified in the second proviso to sub-section(2) of section 16, shall pay an amount equal to the input tax credit availed in respect of such supply along with interest payable thereon under section 50, while furnishing the return in FORM GSTR-3B for the tax period immediately following the period of one hundred and eighty days from the date of the issue of the invoice:

Provided that the value of supplies made without consideration as specified in Schedule of the said Act shall be deemed to have been paid for the purposes of the second proviso to sub-section (2) of section 16:

Provided further that the value of supplies on account of any amount added in accordance with the provisions of clause (b) of sub-section (2) of section 15 shall be deemed to have been paid for the purposes of the second proviso to sub-section (2) of section 16.;

(2) Where the said registered person subsequently makes the payment of the amount towards the value of such supply along with tax payable thereon to the supplier thereof, he shall be entitled to re-avail the input tax credit referred to in sub-rule (1).";

(b) sub-rule (3) shall be omitted;

5. In the said rules, in rule 38,–

(a) in clause (a), in sub-clause (ii), the word, letters and figure, "in FORM GSTR-2" shall be omitted;

(b) in clause (c), for the words, letters and figure, "and shall be furnished in FORM GSTR-2", the words, letters and figure, " and the balance amount of input tax credit shall be reversed in FORM GSTR-3B" shall be substituted;

(c) clause (d) shall be omitted;

6. In the said rules, in rule 42, in sub-rule (1), in clause (g), the words, letters and figure, "at the invoice level in FORM GSTR-2 and" shall be omitted;

7. In the said rules, in rule 43, in sub-rule (1), the words, letters and figure, "FORM GSTR-2 and" wherever occuring, shall be omitted;

8. In the said rules, in rule 60, in sub-rule (7), for the words "auto-drafted", the words "auto-generated" shall be substituted;

9. In the said rules, rules 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 and 79 shall be omitted;

10. In the said rules, in rule 83, in sub-rule (8), in clause (a), the words "and inward" shall be omitted;

11. In the said rules, in rule 85, in sub-rule (2), –

(a) in clause (b), for the words "said person;", the words "said person; or" shall be substituted;

(b) clause (c) shall be omitted;

12. In the said rules, in rule 89, in sub-rule (1), –

(a) after the words " claiming refund of", the words, brackets and figures "any balance in the electronic cash ledger in accordance with the provisions of sub-section (6) of section 49 or" shall be inserted;

(b) the first proviso shall be omitted;

(c) in the second proviso, for the words "Provided further that", the words "Provided that" shall be substituted;

(d) in the third proviso, for the words "Provided also that", the words "Provided further that" shall be substituted;

13. In the said rules, in rule 96, in sub-rule (3), for the words, letters and figures, "FORM GSTR-3 or FORM GSTR-3B, as the case may be", the letters and figure, "FORM GSTR-3B" shall be substituted;

14. IN the said rules, FORM GSTR-1A, FORM GSTR-2 and FORM GSTR-3 shall be omitted;

15. In the said rules, in FORM GST PCT-05, in Part-A, in the table, against Sr. No.1, under the heading "List of Activities", the words, "and inward", shall be omitted.

ANURAG RASTOGI,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.

9918—C.S.—H.G.P., Pkl.

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 208–2022/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, NOVEMBER 29, 2022 (AGRAHAYANA 8, 1944 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 29 नवम्बर, 2022

संख्या 62/जीएसटी–2.– हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. (1) ये नियम हरियाणा माल और सेवा कर (छठा संशोधन) नियम, 2022, कहे जा सकते हैं।

(2) ये नियम 15 नवम्बर, 2022 से लागू हुए समझे जाएंगे।

2. हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 में, प्ररूप जीएसटीआर–9 में, "अनुदेश" शीर्ष के अधीन, पैरा 7 में,–

(अ) "अप्रैल, 2022 से सितंबर, 2022 के बीच प्ररूप जीएसटीआर–3ख में" शब्दों, अक्षरों और अंको के स्थान पर "अप्रैल, 2022 से अक्टूबर, 2022 के प्ररूप जीएसटीआर–3ख में 30 नवंबर 2022 तक" शब्द, अक्षर और अंक प्रतिस्थापित किये जाएंगे;

(आ) सारणी में, द्वितीय खाने में, –

(I) क्रम संख्या 10 और 11 के सामने, "अप्रैल, 2022 से सितंबर, 2022 के प्ररुप जीएसटीआर–1" शब्दों, अक्षरों और अंको के स्थान पर "अप्रैल, 2022 से अक्टूबर, 2022 के, 30 नवंबर, 2022 तक फ़ाइल किए गए प्ररुप जीएसटीआर–1" शब्द, अक्षर और अंक प्रतिस्थापित किये जाएंगे;

(II) क्रम संख्या 12 के सामने, "अप्रैल, 2022 से सितंबर, 2022 के मासों के लिए" शब्दों, अक्षरों और अंको के स्थान पर "अप्रैल, 2022 से अक्टूबर, 2022 के मासों के लिए, 30 नवंबर, 2022 तक" शब्द, अक्षर और अंक प्रतिस्थापित किये जाएंगे;

(III) क्रम संख्या 13 के सामने, "अप्रैल, 2022 से सितंबर, 2022 के मासों के लिए" शब्दों, अक्षरों और अंको के स्थान पर "अप्रैल, 2022 से अक्टूबर, 2022 के मासों के लिए, 30 नवंबर, 2022 तक" शब्द, अक्षर और अंक प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

अनुराग रस्तोगी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 29th November, 2022

No. 62/GST-2.— In exercise of the powers conferred by section 164 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017, namely: -

1. (1) These rules may be called the Haryana Goods and Services Tax (Sixth Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from the 15th November, 2022.

2. In the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017, in FORM GSTR-9, under the heading Instructions, in paragraph 7, -

(A) for the figures, letters and words "between April, 2022 to September, 2022", the figures, letters and words "of April, 2022 to October, 2022 filed upto 30th November, 2022" shall be substituted;

(B) in the Table, under second column, -

(I) against serial numbers 10 and 11, for the figures and words "April, 2022 to September, 2022", the figures, letters and words "April, 2022 to October, 2022 filed upto 30th November, 2022" shall be substituted;

(II) against serial number 12, for the figures and words "April 2022 to September 2022", the figures, letters and words "April, 2022 to October, 2022 upto 30th November, 2022" shall be substituted;

(III) against serial number 13, for the figures and words "April 2022 to September 2022", the figures, letters and words "April, 2022 to October, 2022 upto 30th November, 2022" shall be substituted.

ANURAG RASTOGI,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.

10004—C.S.—H.G.P. Pkl.

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 216–2022/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, DECEMBER 12, 2022 (AGRAHAYANA 21, 1944 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 12 दिसम्बर, 2022

संख्या 63/जीएसटी–2.– हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. (1) ये नियम हरियाणा माल और सेवा कर (सातवां संशोधन) नियम, 2022, कहे जा सकते हैं।

(2) ये नियम प्रथम दिसंबर, 2022 से लागू हुए समझे जाएंगे।

2. हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 122 का लोप कर दिया जाएगा।

3. उक्त नियमों में, नियम 124 और नियम 125 का लोप कर दिया जाएगा।

4. उक्त नियमों में, नियम 127 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''127. प्राधिकरण के कृत्य.– प्राधिकरण निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्:–

(i) अवधारित करना कि क्या किसी माल या सेवाओं के प्रदाय पर कर की दर में कटौती या इनपुट कर प्रत्यय के फायदे, मूल्य में कटौती की अनुरूपता द्वारा प्राप्तिकर्ता को पहुँच रहे हैं;

(ii) उस रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की पहचान करना, जो माल या सेवाओं के प्रदाय पर कर की दर में कटौती के फायदे या इनपुट कर प्रत्यय के फायदे, मूल्यों में कटौती की अनुरूपता से प्राप्तिकर्ता को नहीं पहुंचा रहा है;

(iii) (क) मूल्यों में कटौती;

(ख) यदि पात्र व्यक्ति, राशि की वापसी का दावा नहीं करता है या पहचान योग्य नहीं है और धारा 57 में निर्दिष्ट निधि में उसे जमा कर रहा है, तो उच्च राशि संग्रहित करने की तिथि से ऐसी राशि की वापसी की या वापस नहीं की गई राशि की वसूली की तिथि तक, जैसी भी स्थिति हो, अठारह प्रतिशत की दर पर ब्याज सहित मूल्यों में कटौती की अनुरूपता से नहीं पहुंचाई गई राशि के समान राशि, प्राप्तिकर्ता को वापस करने;

(ग) अधिनियम मे यथा विनिर्दिष्ट शास्ति अधिरोपित करने; और

(घ) अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के आदेश करना।

(iv) प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के दसवें दिन तक परिषद् को कार्य निष्पादन रिपोर्ट प्रस्तुत करना।''।

5. उक्त नियमों में, नियम 134 का लोप कर दिया जाएगा।

6. उक्त नियमों में, नियम 137 का लोप कर दिया जाएगा।

7. उक्त नियमों में, नियम 137 के बाद, स्पष्टीकरण में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''(क) ''प्राधिकरण'' से अभिप्राय है अधिनियम की धारा 171 की उप–धारा (2) के अधीन अधिसूचित प्राधिकरण।''।

अनुराग रस्तोगी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 12th December, 2022

No. 63/GST-2.— In exercise of the powers conferred by section 164 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:–

1. (1) These rules may be called the Haryana Goods and Services Tax (Seventh Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from the 1st December, 2022.

2. In the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017, (hereinafter called the said rules), rule 122 rule shall be omitted;

3. In the said rules, rule 124 and rule 125 shall be omitted.

4. In the said rules, for rule 127, the following rule shall be substituted, namely:-

"Functions of the Authority.— The Authority shall discharge the following functions, namely:–

(i) to determine whether any reduction in rate of tax on any supply of goods or services or the benefit of the input tax credit has been passed on to the recipient by way of commensurate reduction in prices;

(ii) to identify the registered person who has not passed on the benefit of reduction in rate of tax on supply of goods or services or the benefit of input tax credit to the recipient by way of commensurate reduction in prices;

(iii) to order,

(a) reduction in prices;

(b) return to the recipient an amount equivalent to the amount not passed on by way of commensurate reduction in prices along with interest at the rate of eighteen percent from the date of collection of higher amount till the date of return of such amount or recovery of the amount not returned, as the case may be, in case the eligible person does not claim return of the amount or is not identifiable and depositing the same in the Fund referred to in section 57;

(c) imposition of penalty as specified in the Act; and

(d) cancellation of registration under the Act.

(iv) to furnish a performance report to the Council by the tenth day of the close of each quarter.".

5. In the said rules, rule 134 shall be omitted;

6. In the said rules, rule 137 shall be omitted;

7. In the said rules, after rule 137, in the Explanation, for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

"(a) "Authority" means the Authority notified under sub-section (2) of section 171 of the Act;".

ANURAG RASTOGI,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Excise and Taxation Department.

10031—C.S.—H.G.P. Pkl.